न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 146-पीबीआर/2002 - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-12-2001 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 327/2001-02 अपील

जानकीवाई पुत्री कुँवरराज पत्नि नारायण सिंह
ग्राम मसूरी तहसील लटेरी जिला विदिशा ---आवेदक

विरूद्ध

1- उर्मिलावाई पुत्री कुँवरराज पत्नि परमाल
ग्राम खूटिया बमोरी तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर
2- श्रीराम पुत्र कुँवरराज नावा0सरपरस्त
हल्कीवाई पत्नि परमाल सिंह कटौरिया
ग्राम मतावली तहसील मुंगावली
3- हल्कीवाई पत्नि नत्थूसिंह वर्तमान पति
परमालसिंह ग्राम मतावली तहसील मुंगावली
4- पांचोवाई पुत्री कुंवरराज पत्नि बालाराम
ग्राम जसनखेड़ी तहसील मुंगावली
5- रामोवाई पत्नि हलकेसिंह पुत्री नत्थूसिंह
ग्राम पेउथाना तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एन0के0.पाण्डेय)

(रिस्पा0सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 327/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-12-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बामौरी खूटी की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.571 हैक्टर तथा ग्राम बर्धवाहा की कुल किता 3 कुल रकबा 4-335 हैक्टर भूमि के भूमिस्वामी कुॅवर राज थे, जिनकी मृत्यु उपरांत तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 7 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 31-8-2000 से बसीयत के आधार पर उर्मिलावाई पुत्री कुॅवरराज पत्नि परमाल के हित में नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष दो अपील कमशः प्रकरण कमांक 89/99-2000 एंव 8/2000-2001 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-5-2001 पारित किया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 31-8-2000 निरस्त कर प्रकरण जॉच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 327/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-12-2001 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-8-2000 को यथावत् रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मनन् करने एंव अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली व्दारा अपील कमांक 89/99-2000 एंव 8/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 28-5-2001 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के

अपील प्रकरण कमांक 327/2001-02 की समीक्षा करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली का आदेश दिनांक 28-5-2001 (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में दी गई व्यवस्था अनुसार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य नहीं है अपितु निगरानी प्रचलन-योग्य है। अतएव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 6-12-2001 नियम एंव प्रकिया पर आधारित नहीं होने से दोषपूर्ण है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

5/ तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 7 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 31-8-2000 के अवलोकन परिलक्षित है कि उन्होंने बसीयत के आधार पर उर्मिलावाई पुत्री कुँवरराज पत्नि परमाल के हित में नामान्तरण स्वीकार किया, परन्तु यह जॉचने का प्रयास नहीं किया कि ग्राम बामौरी खूटी की रकबा 2.571 हैक्टर तथा ग्राम बर्धवाहा की रकबा 4-335 हैक्टर भूमि कुँवरराज की स्वअर्जित संपत्ति थी अथवा पैत्रिक संपत्ति थी।

6/ अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 28-5-2001 के पृष्ठ-5 पर की गई विवेचना के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने उर्मिलावाई के हित में लिखी गई बसीयत को स्वीकार कर नामान्तरण किया है और इस बसीयत में लिखा है कि मृतक कुंअरराज के एकमात्र पुत्री उर्मिलावाई है जबकि कुंअरराज के तीन पुत्रियॉ कमशः उर्मिलावाई, जानकीवाई, पार्वतीवाई है । इस प्रकार कोई भी बसीयतकर्ता बसीयत में अपने पुत्र/पुत्रियों के होने का तथ्य नहीं छिपायेगा, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने बसीयत को संदिग्ध माना है। तहसीलदार के समक्ष दो बसीयतें कमशः दिनांक 19-5-98 की बसीयत एंव दिनांक 4-6-1998 की गई बसीयतें प्रस्तुत हुई हैं । दोनों बसीयतों में

मृतक कुंअरराज के वारिसान की जानकारी छिपाई गई है इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने आदेश दिनांक 28-5-2001 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-8-2000 को निरस्त कर मृतक कुंअरराज के सभी वारिसान की जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 327/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-12-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के आदेश दिनांक 28-5-2001 को यथावत् रखते हुये उनके व्दारा मृतक कुंअरराज के सभी वारिसानों की जांच एंव सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण के निराकरण हेतु दिये गये निर्देशों को यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर